(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।

(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।"

ज्येष्ठता नियमावली के पूर्वोक्त उपबन्धों से ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त सुस्पष्ट एवं निश्चित हो गये हैं। यह नियमावली इससे पूर्व की सेवा नियमावलियों के उपबन्धों पर अभिभावी है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवक की सेवा नियमावली में ज्येष्ठता निर्धारण का कोई अन्यथा उपबन्ध रहा हो तो भी उसकी ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के पूर्व चर्चित उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, किन्तु दिनांक 20.3.91 के पश्चात् किसी सेवा नियमावली में ज्येष्ठता निर्धारण का कोई अन्यथा उपबन्ध किया गया हो तो उसी उपबन्ध के अनुरूप ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। "उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता, वर्ष 1991 की ज्येष्ठता नियमावली के अनुरूप निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जाएगी :

(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण.—जब सेवा नियमावली में किसी पद पर सिर्फ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करने का उपबन्ध हो तो किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन सूची में दर्शित हो। पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये सरकारी सेवक पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त सरकारी सेवकों से कनिष्ठ होंगे। यदि एक ही वर्ष में नियमित एवं आपात-भर्ती के लिए अलग-अलग चयन किये गये हों तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन, पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा तथा उस चयन के फलस्वरूप नियुक्त सेवक ज्येष्ठ होंगे।

जब तदर्थ नियुक्ति की गयी हो तो संगत विनियमितीकरण नियमावली अथवा संगत सेवा नियमावली के अधीन तदर्थ सेवकों की नियमित नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। यदि एक ही तिथि को कई तदर्थ सेवकों का विनियमितीकरण हुआ हो तो नियमित नियुक्ति के आदेश में जिस क्रम में उनके नाम अवस्थित हो, उसी क्रम में उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी।

(2) सिर्फ एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण.—जब एक ही पोषक संवर्ग के सेवकों को उच्च पद पर, पदोन्नति द्वारा, नियुक्त किया गया हो तो उच्च पद पर नियुक्त सेवकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी। यदि पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ सेवक की पदोन्नति से पूर्व उससे कनिष्ठ सेवक को पदोन्नत कर दिया गया हो तो ज्येष्ठ सेवक पदोन्नत होने पर पुनः वही ज्येष्ठता प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

(3) अनेक पोषक संवर्गों से सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्त सेवकों की ज्येष्ठता का निर्धारण.—(क) जब सेवा नियमावली में दो या अधिक पोषक संवर्गों से सिर्फ पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने का उपबन्ध हो तब किसी एक चयन के परिणामस्वरूप पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उस तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिस तिथि को वे सेवक अपने-अपने पोषक संवर्ग में मौलिक रूप से नियुक्त हुए थे।

1. मौलिक नियुक्ति, चाहे स्थायी पद पर हो अथवा अस्थायी पद पर, की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित होगी।[1]

2. नियमानुसार की गई नियुक्ति अर्थात मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। तदर्थ सेवक की ज्येष्ठता, नियमानुसार नियमित चयन के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से आगणित की जाएगी।[2]

3. जब कोई व्यक्ति किसी पद पर नियमानुसार नियुक्त किया जाए तो उसकी ज्येष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी, उसके स्थायीकरण की तिथि से नहीं।[3]

4. ज्येष्ठता का आगणन, नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा, पदग्रहण करने की तिथि से नहीं।[4]

5. ज्येष्ठता निर्धारण के लिए स्थानापन्न अवधि को आगणित नहीं किया जाएगा।[5]

on account of his unsuitability for the service.

(2) An order under sub-rule(1) shall indicate the grounds for the discharge but no disciplinary inquiry shall be necessary.

21. Increment during the period of probation:-

(1) A probationer or promotee may draw the increments that fall due during the period of probation. He shall not, however, draw any increment after the expiry of the period of probation unless and until he is declared to have satisfactorily completed his probation.

(2) When a probationer or promotee is declared to have satisfactorily completed his probation, he shall draw, as from the date such order takes effect, the pay he would have drawn had he been allowed the increments for the whole of his service from the date of his appointment on probation.

CHAPTER – V

Determination of seniority

22. Seniority.

(1) **Seniority where appointments by direct recruitment only:-** Where according to the rules appointments are to be made only by the direct recruitments, the seniority inter-se of the persons appointed on the result of any one selection, shall be the same as it is shown in the merit list prepared:

Provided that a candidate recruited directly may loose his seniority, if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons, shall be final:

Provided further that persons appointed on the result of subsequent selection shall be junior to the persons appointed on the result of a previous selection.

Explanation- Where in the same year separate selection for regular and emergency recruitment are made, the selection for regular recruitment shall be deemed to be previous selection.

(2) **Seniority where appointments by promotion only from the Single feeding cadre:-** Where according to the service rules, appointments are to be made only by promotion from a single feeding cadre, the seniority inter-se of

person so appointed shall be the same as it was in the feeding cadre.

Explanation- A person senior in the feeding cadre shall, even though promoted after the promotion of a person junior to him in the feeding cadre shall, in the cadre to which they are promoted, regain the seniority as it was in the feeding cadre.

(3) **Seniority where appointments by promotion only from several feeding cadre:-** Where according to service rules, appointments are to be made only by promotion but from more than one feeding cadre, the seniority inter-se of persons appointed on the result of any one selection shall be determined according to the date of the order of their substantive appointment in their respective feeding cadre.

Explanation- Where the order of the substantive appointments in the feeding cadre specifies a particular back date with effect from which, a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of the order of substantive appointment and, in other cases it will mean the date of issuance of the order:

Provided that where the pay scales of the feeding cadre are different, the persons promoted from the feeding cadre having higher pay scale shall be senior to the persons promoted from the feeding cadre having lower pay scale:

Provided further that the person appointed on the result of a subsequent selection shall be junior to the person appointed on the result of a previous selection.

(4) Seniority where [1][appointments] made by promotion and direct recruitments- (i) Where according to service rules appointments are made from both by the promotion and by Direct Recruitment, the seniority of persons appointed shall, subject to the provisions of sub-rule be determined from the date of the order of their substantive appointments, and if two or more persons are appointed together in the order in which, their names are arranged in the appointment orders:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date, with effect from which a person is substantively appointed, that date will [2][be]

1 amended vide Government Notification no. 4/2007/448/VII-nyaya-2-2017-176G-2010, dated 21.06.2017 (U.P. State District Court Service (First Amendment) Rules, 2017)

2 Inserted vide Government Notification no. 4/2007/448/VII-nyaya-2-2017-176G-2010, dated 21.06.2017 (U.P. State District Court Service (First Amendment) Rules, 2017)

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो

ज्येष्ठता का अवधारण

5. **उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाए-** जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है,

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर यह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण-जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किए जाए तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा।

6. **उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाए-** जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण- पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गई हो, उस सवंर्ग में

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप - (क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखाई गयी हो,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तो के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जायें वहां पदोन्नत व्यक्तियों की सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनो श्रोतो के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त - (1) जहाँ पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी-

प्रथम -------पदोन्नति व्यक्ति,

द्वीतीय ------- सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहाँ उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी-

प्रथम ----------पदोन्नति व्यक्ति,

द्वीतीय से चतुर्थ तक -----सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति,

पांचवाँ ----------पदोन्नति व्यक्ति,

छठा से आठवाँ ----------सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी: